प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त के कार्यों हेतु जमा एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1113/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/14-15/आर0ई0सी0/02/400 टी0सी0, दिनांक 31 जुलाई, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/ सौभाग्य योजना के दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त के कार्यों हेतु जमा एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4801-06-190-10-30- में प्राविधानित धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1002,98,41,111/- (रूपये एक हजार दो करोड़ अट्ठान्नवे लाख इकतालिस हजार एक सौ ग्यारह मात्र) में से धनराशि रूपये 53,99,24,714/- (रूपये तिरपन करोड़ निन्यांनवे लाख चौंबीस हजार सात सौ चौदह मात्र) को प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण संलग्नक के अनुसार पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0 को सौभाग्य योजना में धनराशि रूपये 53,99,24,714/- (रूपये तिरपन करोड़ निन्यांनवे लाख चौंबीस हजार सात सौ चौदह मात्र) किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

4- निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी क्लेम के सापेक्ष दोहरा भुगतान न होने पाये।

5- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/6/1/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08.01.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की घोषणा के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर

http://shasanadesh.up.nic.in

कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहित का उल्लंघन न हो।

6- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक- "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-10-दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना हेतु अतिरिक्त इन्फ्रा के दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त के कार्यों के सापेक्ष संविदाकारों द्वारा राजकोष में जमा नेट एस0जी0एस0टी0 (इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाकर) की डिस्कॉम्स को प्रतिपूर्ति-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3439-दस-2021-22, दिनांक 11 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

<u>संख्या-21/2022/1213(1)/24-1-21, तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-11001।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
4- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा ।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त(वयय-नियंत्रण)अनुभाग-10/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in